



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22122022-241307
CG-DL-E-22122022-241307

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5750]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 21, 2022/अग्रहायण 30, 1944

No. 5750]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 21, 2022/AGRAHAYANA 30, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5988(अ).—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि आंध्र प्रदेश राज्य में पर्वथिपुरम मन्यम जिला में श्रीकाकुलम से अंगुल स्पर पाइपलाईन (एसएपीएल) प्रोजेक्ट के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानि चाहिए;

और कि ऐसी पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि के उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उनमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय कि घोषणा करती है;

उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतिया साधारण जनता को उपलब्ध करा दिए जाने की तारीख से 21 (इक्कीस) दिनों के भीतर, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन या भूमि में पाइपलाईन बिछाने के सबंध में आक्षेप लिखित रूप से सक्षम प्राधिकारी, गेल (इंडिया) लिमिटेड, श्रीकाकुलम-अंगुल पाइपलाइन, होटल सनराइज, अरसावल्ली रोड जंक्शन, श्रीकाकुलम-532001, आंध्र प्रदेश.

अनुसूची

श्रीकाकुलम-अंगुल पाईपलाईन (एसएपीएल) पार्ट- बी, स्पर लाइन					
भूमि अनुसूचि					
जिला : पर्वथिपुरम मन्यम			राज्य : आंध्र प्रदेश		
मंडल का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
गुमलक्ष्मीपुरम	कोथागुडा@डब्लुगुडा	34	00	18	28
		33	00	28	34
		29/1	00	23	84
		26	00	03	09
		27/2	00	04	87
		27/3	00	10	89
		28	00	14	61
		24	00	22	22
		35	00	08	91
		23	00	00	85
		22	00	26	87
		20/2	00	00	86
		20/1	00	17	06

[फा. सं. एल-14014/238/2022-जीपी-II(ई-45227)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2022

S.O. 5988(E).—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Natural Gas from SRIKAKULAM - ANGUL PIPELINE (SAPL) PART-B, Spur Line in Parvathipuram Manyam District in Andhra Pradesh state, a pipeline should be laid by the GAIL (India) Ltd.,

AND whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the Schedule annexed to this Notification.

NOW, Therefore, in exercise of the powers conferred by Sub Section (i) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein.

Any Person interested in the land described in the said Schedule may within 21 days from the date on which the copies of this Notification, as published in the Gazette of India, are made available to the General Public object in writing to the acquisition of the Right of User there in or laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, GAIL (India) Ltd., Srikakulam-Angul Spur Gas Pipeline, Hotel Sunrise, Arasavalli road junction, Srikakulam-532001, Andhra Pradesh.

SCHEDULE

SRIKAKULAM - ANUGL PIPELINE (SAPL) PART-B, Spur Line					
LAND SCHEDULE					
DISTRICT: Parvathipuram Manyam			STATE: ANDHRA PRADESH		
MANDAL	VILLAGE	SURVEY NO.	AREA		
			Hectare	Are	Sq. Mt.
Gummalakshmipuram	Kothaguda@Dabbaliguda	34	00	18	28
		33	00	28	34
		29/1	00	23	84
		26	00	03	09
		27/2	00	04	87
		27/3	00	10	89
		28	00	14	61
		24	00	22	22
		35	00	08	91
		23	00	00	85
		22	00	26	87
		20/2	00	00	86
		20/1	00	17	06

[F. No. L-14014/238/2022-GP-II (E- 45227)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.